न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या – अपील नं0 2006/00082 (31/2006) 223 आरटीएक्ट

1. मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुरजी शाश्वत् अवयस्क जरिये श्रद्धावान एवं उपासक सहीराम पुत्र हुक्माराम
2. सहीराम पुत्र श्री हुक्माराम जाति जाट निवासी गांव रोड़ांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ। – अपीलान्ट

बनाम

1. जानी बेवा रामचन्द्र जाति बैरागी साकिन रोड़ावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ
2. रूकमा देवी पत्नी श्री मंगतुराम जाति बैरागी साकिन रोड़ांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ। – रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनाक 31.01.2006 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया प्र. सं. 45/2000 बअनवानी मुर्ती मन्दिर आदि बनाम जानी आदि

श्री बलविन्द्र सिह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक –23.12.2019

1. प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया। वादपत्र में कथन किया कि रोड़ावाल की रोही खसरा नम्बर 168 की 19 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि बीकानेर रिसायत के द्वारा वादी संख्या 1 की सेवा पूजा व देखभाल के उद्देश्य से मुआफी मन्दिर उसके पुजारी रामचन्द्र को सुपुर्द की गई थी। उक्त रामचन्द पुजारी के फौत होने के बाद उसकी पत्नी मुस्तात जानी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मुआफी मन्दिर के साथ कागजात माल में दर्ज हो गई। जागीर पुनग्रहण अधिनियम 1982 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह भूमि जागीर के तौर पर तसव्वुर करते हुए तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने दिनांक 20.04.1965 को आदेश पारित कर मुस्मात जानी को इस भूमि का खुदकाश्त मानते

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हुए प्रतिवादीया संख्या 1 की निजी सम्पति घोषित कर दी गई जिसके आधार पर उसका नामान्तरण तस्दीक हो गया। कालान्तर में प्रतिवादीया सं0 1 ने अपनी पुत्री रूकमा देवी को भूमि स्थानान्तरित कर दी। वर्तमान में केवल 17 बीघ भूमि शेष है जो कि प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम दर्ज कागजात माल है। प्रतिवादीगण बिना किसी विधिक अधिकार के प्रश्नगत कृषि भूमि का नाजायज फायदा उठाकर अपने लाभार्थ काम में ले रहे हैं जिसका लाभ वादी संख्या 1 को नही मिल रहा है। अतः प्रश्नगत भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसका नाम जोड़ा जावे प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जावे। वादी सं0 1 के हितार्थ इस भूमि को सरकार संरक्षक (पब्लिक न्यास आदि) की नियुक्ति कर उचित व्यवस्था की जावे, प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

2. प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश किया कि प्रश्नगत भूमि प्रतिवादीया सं0 1 के ससुर राधेदास पुत्र श्री गयानदास की मौरूसी खातेदारी थी जो तत्समय 30 बीघा भूमि थी। मन्दिर की सेवा पूजा की एवज में दिसम्बर 1928 में तत्कालीन बीकानेर रियासत के समक्ष दरख्वास्त दी थी। इस दरख्वास्त पर चौधरियान के बयान लिये जाकर दिनांक 05.03.1930 को 19 बीघा 9 बिस्वा की हद तक मन्दिर की सेवा पूजा की एवज में तहसीदार हनुमानगढ से लगान माफ करने की सिफारिश हुई तथा रेवेन्यू कमिश्नर श्रीगंगानगर द्वारा लगान माफ करवाया गया थो। प्रतिवादिया सं0 1 के पति स्व0 रामचन्द्र का देहान्त होने पर यह भूमि प्रतिवादिया सं0 1 के नाम दर्ज हुई। यह भूमि मन्दिर ठाकूर जी के नाम नही है ना ही यह भूमि कथित रूप से वादी सं0 1 की खातेदारी भूमि है बल्कि प्रतिवादिया सं0 1 के पूर्वजों की खातेदारी थी जिसका लगान मन्दिर की खिदमत की एवज में माफ फरमाया गया था। भूमि कभी भी मन्दिर को आवंटित नहीं हुई थी। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावशील होने के दिवस यह भूमि प्रतिवादिया सं0 1 की खुदकाश्त की भूमि होने के कारण तत्कालीन जागीर कलक्टर श्रीगंगानगर ने उक्त अधिनियम की धारा 23 (2) के अन्तर्गत अपने आदेश दिनांक 20.04.65 के जरिये खातेदारी अधिकार प्रदान किये। जिसका इन्तकाल दर्ज हो चुका था। वर्तमान मे यह भूमि प्रतिवादिया सं0 2 रूकमादेवी के नाम से राजस्व न्यायालय की डिक्री दिनांक 02.03.1996 मुकदमा राजस्व वाद सं0 /96 रूकमादेवी बनाम जॉनीदेवी की रूह में जरिये इन्तकाल दिनांक 19.08.96 दर्ज हुई है। मन्दिर की भूमि अपने नाम दर्ज नहीं करवाई है। वादी सं0 2 से 5 ने चुनावी रंजिश को लेकर पंचायत चुनाव 2000 के बाद प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने के लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. उपखण्ड अधिकारी ने दावा एव जवाब दावा के आधार पर वाद वादी खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि विवादक सं0 1 विचारण न्यायालय विधि विरूद्ध तरीके से निस्तारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस विवाद के विचारण के समय प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भली भांति अध्ययन नहीं किया। बयान राघवदास 21.121.1927 में स्वयं राघवदास ने वादग्रस्त आराजी को माफी की होना स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त खिदमत मन्दिर की एवज में लगान की माफी चाही थी। इस प्रकार बयान मोहम्मदअली ने भी इस भूमि को माफी की होना स्वीकार किया है। इस्तहार उजरदारी प्रदर्श–ए–5 में भी 29 बीघा 03 बिस्वा भूमि को भी आराजी माफी होना लिखा है। प्रदर्श–ए–10 आदेशिका दिनांक 06.10.1930 में भी 19 बीघा 09 बिस्वा भूमि को माफी मन्दिर बअहतमाम रामघदास दर्ज हुआ है। जमाबन्दी में भी माफी मन्दिर के तौर पर वादग्रस्त भूमि को दर्शाया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि माफी मन्दिर होना साबित था। अधीनस्थ न्यायालय ने अतिरिक्त जिला कलक्टर जागीर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.4.1965 की वैधता सम्बन्धी उठाये गये एतराजात को भी विचारित नही किया है। सभी तनकीयात को निर्णय करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।
6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि प्रतिवादीया सं0 1 के ससुर राधेदास पुत्र श्री गयानदास की मौरूसी खातेदारी थी जो तत्समय 30 बीघा भूमि थी। मन्दिर की सेवा पूजा की एवज में दिसम्बर 1928 में तत्कालीन बीकानेर रियासत के समक्ष दरख्वास्त दी थी। इस दरख्वास्त पर चौधरियान के बयान लिये जाकर दिनांक 05.03.1930 को 19 बीघा 9 बिस्वा की हद तक मन्दिर की सेवा पूजा की एवज में तहसीदार हनुमानगढ से लगान माफ करने की सिफारिश हुई तथा रेवेन्यू कमिश्नर श्रीगंगानगर द्वारा लगान माफ करवाया गया थो। प्रतिवादिया सं0 1 के पति स्व0 रामचन्द्र का देहान्त होने पर यह भूमि प्रतिवादिया सं0 1 के नाम दर्ज हुई। यह भूमि मन्दिर ठाकूर जी के नाम नही है ना ही यह भूमि कथित रूप से वादी सं0 1 की खातेदारी भूमि है बल्कि प्रतिवादिया सं0 1 के पूर्वजों की खातेदारी थी जिसका लगान मन्दिर की खिदमत की एवज में माफ फरमाया गया था। भूमि कभी भी मन्दिर को आवंटित नहीं हुई थी। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावशील होने के दिवस यह भूमि प्रतिवादिया सं0 1 की खुदकाश्त की भूमि होने के कारण तत्कालीन जागीर कलक्टर श्रीगंगानगर ने उक्त अधिनियम की धारा 23 (2) के अन्तर्गत अपने आदेश दिनांक 20.04.65 के जरिये खातेदारी अधिकार प्रदान किये। जिसका इन्तकाल दर्ज हो चुका था। वर्तमान मे यह भूमि प्रतिवादिया सं0 2 रूकमादेवी के नाम से राजस्व न्यायालय की डिक्री दिनांक 02.03.1996 मुकदमा राजस्व वाद सं0 /96 रूकमादेवी बनाम जॉनीदेवी की रूह में जरिये इन्तकाल दिनांक 19.08.96 दर्ज हुई है। प्रतिवादिया सं0 2 के नाम 17 बीघा भूमि ही दर्ज नहीं है अपितु चक 3 के0के0डब्ल्यू (बी) में 17 व चक 11 एम0एम0के0 में 2 बीघा कुल 19 बीघा दर्ज है। मन्दिर की भूमि अपने नाम दर्ज नहीं करवाई है। वादी सं0 2 से 5 ने चुनावी रंजिश को लेकर वाद प्रस्तुत किया है। मन्दिर की खिदमत की एवज में लगान माफ किया गया है भूमि मन्दिर की नहीं थी उसकी सेवा में लगान माफ किया गया था। जागीर कलक्टर श्रीगंगानगर ने रेस्पोडेण्ट की निजी कृषि भूमि मानते हुए आदेश दिया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1973 पेज 91, आरआरडी 1986 पेज 3, आरएलडब्ल्यू 1991 (2) पेज 361, आबीजे 2000 पेज 188, आरआरडी 2015 पेज 91, पेज 78, आरआरडी 2015 पेज 370 व 12, अआरआरडी 2017 पेज 364, आरआरडी 2012 पेज 388 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
8. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट का वाद घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली का था। विचारण न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर कुल 5 तनकियात कायम की हैं और अपना निर्णय तनकीवाईज किया है इसलिए अपील में भी निर्णय तनकीवाई किया जा रहा है।
9. तनकी नं. –1 आया वादग्रस्त आराजी 17 बीघा के वादी नं0 1 खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रतिवादी नं0 1, 2 का कोई हक निहित नहीं है –वादी
10. आया प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा अधिकृत संरक्षक को सौंपा जावे–वादी
11. आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है–वादी
12. आया वादग्रस्त आराजी विधि अनुसार प्रतिवादीगण के नाम आई। भूमि प्रतिवादी सं0–1 के ससुर की मौरूसी है–प्रतिवादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

13. तनकी नं. 1 को सिद्ध करने का भार वादी पर था। अपीलार्थीगण/वादीगण वादग्रस्त भूमि माफी मन्दिर की होना बतलाते हुए जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभाव में आते ही विधि अनुसार इस भूमि का राज्य हित में पुर्नग्रहण किया जाकर पुनः मुआफी के रूप में इन्द्राज का अनुतोष चाहते हैं। रेस्पोडेण्ट्स/प्रतिवादीगण भूमि को माधोदास की 30 बीघा मौरूसी खातेदारी की भूमि बताते है, जिसमें से सेवा पूजा की एवज में स्व0 माधेदास को रेवेन्यू कमिश्नंर गंगानगर द्वारा 19.09 बीघा का मन्दिर की सेवा के एवज में लगान माफ किया जाना अंकित करते है तथा उक्त भूमि माफी की भूमि होने से राजस्थान भूमि सुधार जागीर पुनर्गग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावशील होने के दिवस भूमि प्रतिवादी सं0 1 की खुदकाश्त होने के कारण तत्कालीन जागीर कलक्टर श्री गंगानगर ने उक्त अधिनियम की धारा 23 (2) के तहत खातेदारी अधिकार देने का कथन किया है।

वादीगण द्वारा पेश नकल जमाबंदी संवत 2020 ता 23 इक्सपी –1 में वादीग्रस्त आराजी गयानी बेवा रामचन्द्र के नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2054 से 57 जो कि इक्सपी –2 है में उक्त आराजी रूकमादेवी पत्नी मंगतूराम के नाम खातेदारी दर्ज है। नकल नामान्रणकरण इक्सपी 3 से स्पष्ट है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 20.04.2005 में जानी बेवा रामचन्द के नाम खातेदारी दर्ज हुई। इक्स ए 1 से में राधेश्याम द्वारा मन्दिर की सेवा पूजा की तस्दीक हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया था। नकल बयान राधेदास दिनांक 22.12.2026 इएक्स ए 2– से स्पष्ट है कि राधेदास द्वारा बयान दिया गया था कि हमारे दोनों के नाम 29.06 बीघा का सालम लगान व एवज खिदमत श्री ठाकुर जी के वाके दर्ज कागजात है। ठाकुर जी की अच्छी हालत है। हम चाहते हैं कि 29.03 आराजी का लगान वएवज खिदमत मन्दिर हमारे दोनों के नाम माफ फरमाया जावे। इएक्स ए 3 व नकल बयानात इएक्स 4– में ग्राम रोड़ांवाली के प्रमुख व्यक्तियों यह बयान दिये है कि ग्राम प्रमुख व्यक्तियों द्वारा मन्दिर ठाकुर जी की सेवा करने के कारण 29.03 बीघा आराजी के लगान माफ करने के बयान दिये थे। नकल इएक्स ए 5– उज्रदारी इश्तहार से स्पष्ट है कि उक्त 29.03 बीघाभूमि की लगान माफ मन्दिर की सेवा पूजा के एवज में उज्रदारी निकाली गई थी। नकल इएक्स ए 6– पंचायत धोली पाल की सिफारिश से स्पष्ट है कि मन्दिर की सेवा पूजा के एवज में पंचायत धोलीपाल द्वारा भी लगान माफ करने की सिफाशि की थी। इसी प्रकार नकल आदेश एक्स ए 7 रेवेन्यू कमिश्नर द्वारा 19.09 बीघा भूमि की माफी का आदेश जारी किया था उक्त आदेश की पालना में रजिस्ट्र माफी में दर्ज करने का आदेश दिनांक 06.10.30 में हुआ जो इएक्स ए 10 है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उक्त दस्तावेजात से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण के पूर्वजों क कुल 29.16 बीघा भूमि थी जो मन्दिर के सेवा के एवज में उक्त भूमि का लगान माफ करने का प्रार्थना–पत्र पेश करने पर 19.09 बीघाभूमि का लगान मन्दिर की सेवा के एवज में माफ किया गया । उक्त दस्तावेजों से प्रश्नगत भूमि मन्दिर की होना साबित नही होता है। यह भूमि माफीदारों की भूमि थी और उसी में यह भूमि शामिल थी। केवल जमाबन्दी संवत 2005 ता 2009 व 2010 ता 13 में मात्र. खाते के उपर माफी मन्दिर दर्ज करने से ववादी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी नहीं है। यह तनकी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट/वादी के विरूद्ध निर्णित की है अपीलाण्ट ने उपरोक्त साक्ष्यों के विरूद्ध अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया और यह स्पष्ट नहीं किया कि यह तनकी किस प्रकार विधि विरूद्ध निर्णित की गई है।

14. तनकी नं. 2 आया प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा अधिकृत संरक्षक को सौंपा जावे–वादी

तनकी नं. 1 में यह साबित हो चुका है कि प्रश्नगत भूमि मन्दिर की भूमि नहीं है बल्कि मन्दिर ठाकुर जी की सेवा के एवज में प्रतिवादीगण के पूर्वजों को लगान माफ किया गया था राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावशील होने से तत्कालीन जागीर कलक्टर श्रीगंगानगर ने उक्त अधिनियम की धारा 23 (2) तहत प्रतिवादीको खातेदार अधिकार दिये हैं। अतः प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा अधिकृत संरक्षक कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी अपीलाण्ट वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

15. तनकी नं. 3 आया वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है–वादी।

तनकी नं. 1 में स्पष्ट किया जा चुका है प्रतिवादी खातेदार व काबिज व्यक्ति इसलिए वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

16. तनकी नं. 4 आया वादग्रस्त आराजी विधि अनुसार प्रतिवादीगण के नाम आयी भूमि प्रतिवादी सं0 1 के श्वसुर की है। –प्रतिवादी

17. तनकी नं. 1 में स्पष्ट किया जा चुका है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के श्वसुर की भूमि है जिस के लगान को मन्दिर की सेवा के एवज में माफ करने का प्रार्थना–पत्र पेश होने पर मात्र 19.09 बीघा भूमि का लगान मन्दिर की सेवा की एवज में माफ किया गया था तथा उक्त भूमि माफी की सेवा की एवज में माफ किया गया था और जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 23 (2) के तहत जागीर कलक्टर

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्रीगंगानगर द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं। अतः वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेण्ट की खातेदारी भूमि है जो विधि अनुसार रेस्पोडेण्ट के नाम आयी है।

18. उपरोक्त तनकीवाई निर्णय अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि मन्दिर की सेवा करने की एवज में तत्कालीन रेवेन्यू कमिश्नर द्वारा 19.09 बीघाभूमि का लगान माफ किया गया था। भूमि माफीदारान की होने एवं राजस्थान भूमि धार जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावशील होने से धारा 23 (2) के तहत जागीर कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा प्रतिवादी को खातेदारी अधिकार घोषित किये थे। जो विधि सम्मत है अपीलाण्ट ने ऐसा कोई तथ्य अपील में प्रस्तुत नहीं किये हैं जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

19. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.2006 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

20. निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील नं0 2006/00082 (31/2006) 223 आरटीएक्ट

1. मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुरजी शाश्वत् अवयस्क जरिये श्रद्धावान एवं उपासक सहीराम पुत्र हुक्माराम
2. सहीराम पुत्र श्री हुक्माराम जाति जाट निवासी गांव रोड़ांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ। – अपीलान्ट

बनाम

1. जानी बेवा रामचन्द्र जाति बैरागी साकिन रोड़ावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ
2. रूकमा देवी पत्नी श्री मंगतुराम जाति बैरागी साकिन रोड़ांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ। – रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनाक 31.01.2006 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया प्र. सं. 45/2000 बअनवानी मुर्ती मन्दिर आदि बनाम जानी आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री बलविन्द्र सिह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट, श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.2006 यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 23.12.2019 को जारी की गई।

(आशाराम डूडी आर. ए. एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.10 18:54:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: